



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 28.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा करवाई गई दंगा नियंत्रण ड्रिल



आज दिनांक 28.02.21 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में पुलिस लाइन ग्राउंड पर दंगा नियंत्रण ड्रिल का आयोजन किया गया। उक्त ड्रिल में जनपद के राजपत्रित, अराजपत्रित अधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के साथ-साथ पुलिस लाइन व विभिन्न थानों से आये पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न टीमों बनाकर दंगा नियंत्रण हेतु अमल में लाये जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों एवं टैक्टिस का क्रमवार अभ्यास किया गया। तत्पश्चात दंगा नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न उपकरणों जैसे- अश्रुगैस गन, एण्टी राइट गन आदि के संचालन का अभ्यास किया गया।



आज दिनांक 28-02-21 को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं की समीक्षा, महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही, जनशिकायतों का समयबद्ध व विधिक निस्तारण तथा आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

लंबित विवेचनाओं की समीक्षा के दौरान 6 माह से अधिक समय से लंबित विवेचना का गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने एवं अपहृताओं की अतिशीघ्र बरामदगी हेतु निर्देश दिए गए। शांति अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने एवं इनामियां अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु भी निर्देशित किया गया। जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

आगामी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान विगत चुनावों के दौरान हुई घटनाओं को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने, समस्त बूथों का भ्रमण कर आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने एवं क्षेत्र के अवांछित तत्वों पर निगरानी रखने, शस्त्र के सत्यापन व जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करने, ग्राम चौकीदारों की गोष्ठी कर उन्हें सजग व सतर्क रहकर क्षेत्रीय सूचनाओं को थाने पर अंकित कराने के संबंध में ब्रीफ करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही चुनाव के दौरान प्रदान किए जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा बलों के ठहराव हेतु स्थान चिन्हित करके उनके प्रबंधकों से वार्ता कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

थाना खीरी पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.02.21 को थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 76/21 धारा 304 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों सुनील पुत्र श्रीनिवास व छोटू पुत्र रामकुमार नि0गण ग्राम नकहा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना भीरा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 62/21 धारा 452/308/304/323/504/506 भादवि० में वांछित अभियुक्तगण 1. सुरेश पुत्र हरवंश 2. गुड्डू 3. अनेश पुत्रगण रामसेवक नि० सोनपीपर थाना भीरा खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फरधान पुलिस द्वारा अ०सं० 739/17 धारा 498ए/323 भादवि०, ¾ डीपी एक्ट में वारंटी अभियुक्त मंजेश पुत्र वंशीलाल नि० नैनपारा थाना फरधान खीरी व अ०सं० 487/17 धारा 363/366/376 भादवि० में वारंटी अभियुक्त रहमत अली पुत्र फकीर मोहम्मद नि० रेउसा थाना फरधान खीरी व अ०सं० 3834/10 धारा 354 भादवि० में वारंटी अभियुक्त राजेश पुत्र रामस्वरूप नि० सैदायु देवकली थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ०सं० 153/20 धारा 379/354/452 भादवि० में वारंटी अभियुक्तगण 1. पतारी 2. अखिलेश पुत्र चन्द्रिका नि०गण महादेव थाना धौरहरा खीरी व अ०सं० 237/20 धारा 323/504/506 भादवि० में वारंटी अभियुक्तगण 1. चन्द्रभाल पुत्र मैकू 2. सरोज पुत्र चन्द्रभाल नि०गण केशवापुर थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अ०सं० 337/20 धारा 323/504/506 भादवि० में वारंटी अभियुक्त भानू पुत्र अनन्तराम नि० खमरिया थाना मैगलगंज खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 110 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना खीरी	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना नीमगांव	25 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना तिकुनिया	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना ईसानगर	15 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना सिंगाही	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	110 लीटर	10 अभियुक्त गिरफ्तार